2019 का विधेयक संख्यांक 368

[दि आर्म्स (अमेंडमेंट) बिल, 2019 का हिन्दी अनुवाद]

आयुध (संशोधन) विधेयक, 2019

आयुध अधिनियम, 1959 का और संशोधन करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम आयुध (संशोधन) अधिनियम, 2019 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

धारा 2 का संशोधन ।

1959 का 54

2. आयुध अधिनियम, 1959 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में, खंड (ङ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(ङक) "अनुज्ञप्ति" से इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार जारी कोई अनुज्ञप्ति अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत इलैक्ट्रानिक रूप में जारी कोई अनुज्ञप्ति भी है ;'।

धारा 3 का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) में,—

(i) "तीन अग्न्यायुधों" शब्दों के स्थान पर, "एक अग्न्यायुध" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"परंतु कोई व्यक्ति, जिसके कब्जे में आयुध (संशोधन) अधिनियम, 2019 के प्रारंभ पर एक से अधिक अग्न्यायुध हैं, अपने पास ऐसे अग्न्यायुधों में से कोई एक प्रतिधारित कर सकेगा और शेष अग्न्यायुधों को ऐसे प्रारंभ से एक वर्ष के भीतर निकटतम पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के पास या धारा 21 की उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए विहित शर्तों के अध्यधीन अनुज्ञप्तिधारी व्यौहारी के पास अथवा जहां ऐसा व्यक्ति संघ के सशस्त्र बलों का सदस्य है, वहां उस उपधारा में निर्दिष्ट किसी यूनिट शस्त्रागार में निक्षिप्त करेगा, जिसके पश्चात् पूर्वोक्त एक वर्ष की अवधि के अवसान की तारीख से नब्बे दिन के भीतर उसकी अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया जाएगा :

परंतु यह और कि उत्तराधिकार या विरासत के आधार पर आयुध अनुज्ञप्ति अनुदत्त करते समय, एक अग्न्यायुध की सीमा को नहीं बढ़ाया जाएगा ।"।

धारा 5 का संशोधन ।

4. मूल अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (क) में, "विनिर्माण करेगा" शब्दों के स्थान पर, "विनिर्माण करेगा, अभिप्राप्त करेगा या उपाप्त करेगा" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 6 का संशोधन ।

5. मूल अधिनियम की धारा 6 में, "किसी नकली अग्न्यायुध को अग्न्यायुध में संपरिवर्तित" शब्दों के पश्चात्, "या आयुध नियम, 2016 में उल्लिखित अग्न्यायुधों के किसी प्रवर्ग से अग्न्यायुधों के किसी अन्य प्रवर्ग में संपरिवर्तित" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

धारा 8 का संशोधन ।

6. मूल अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) में, "अग्न्यायुध" शब्द के स्थान पर, "अग्न्यायुध या गोला बारूद" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 13 का संशोधन ।

7. मूल अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (3) के खंड (क) के उपखंड (ii) में, "प्वांइट 22 बोर राइफल या हवाई राइफल" शब्दों के स्थान पर, "अग्न्यायुध" शब्द रखा जाएगा ।

धारा 15 का संशोधन ।

8. मूल अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (1) में,—

(क) "तीन वर्ष की कालावधि" शब्दों के स्थान पर, "पाँच वर्ष की कालावधि" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा,

अर्थात् :—

"परंतु यह और कि धारा 3 के अधीन अनुदत्त अनुज्ञप्ति, धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (क) के उपखंड (ii) और उपखंड (iii) में विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन होगी और अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञप्ति को उस तारीख से, जिसको यह अनुदत्त या नवीकृत की जाए, प्रत्येक पांच वर्ष के पश्चात्, अनुज्ञापन प्राधिकारी के समक्ष अग्न्यायुध या गोला बारूद और संबंधित दस्तावेज सहित पेश करेगा ।"।

धारा 25 का संशोधन ।

9. मूल अधिनियम की धारा 25 में,—

(i) उपधारा (1) में,—

(क) खंड (क) में, "विनिर्माण," शब्द के स्थान पर, "विनिर्माण, अभिप्राप्त, उपाप्त," शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) खंड (ख) में, "नकली अग्न्यायुध को अग्न्यायुध में संपरिवर्तित" शब्दों के पश्चात्, "या आयुध नियम, 2016 में उल्लिखित अग्न्यायुधों के किसी प्रवर्ग से अग्न्यायुधों के किसी अन्य प्रवर्ग में संपरिवर्तित" शब्द और अंक अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(ग) दीर्घ पंक्ति में, "जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम होगी, किंतु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी" शब्दों के स्थान पर, "जिसकी अवधि सात वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) उपधारा (1क) में,—

(क) "जिसकी अवधि पांच वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो दस वर्ष तक की हो सकेगी" शब्दों के स्थान पर, "जिसकी अवधि सात वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो चौदह वर्ष तक की हो सकेगी" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु न्यायालय, निर्णय में लेखबद्ध किए जाने वाले किन्हीं पर्याप्त और विशेष कारणों से, सात वर्ष से कम की अवधि के कारावास का कोई दंड अधिरोपित कर सकेगा ।";

(iii) उपधारा (1क) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(1कख) जो कोई बल का प्रयोग करके पुलिस या सशस्त्र बलों से अग्न्यायुध छीन लेता है, ऐसे कारावास से दंडनीय होगा, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी और जुर्माने का भी दायी होगा ।"।

(iv) उपधारा (1कक) में, "सात वर्ष" शब्दों के स्थान पर, "दस वर्ष" शब्द रखे जाएंगे ;

(v) उपधारा (1ख) में, —

(क) दीर्घ पंक्ति में, "एक वर्ष से कम नहीं होगी, किंतु जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी" शब्दों के स्थान पर, "दो वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) परंतुक में, "एक वर्ष" शब्दों के स्थान पर, "दो वर्ष" शब्द रखे जाएंगे ;

(vi) उपधारा (5) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधाराएं अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

(6) यदि किसी संगठित अपराध संघ का कोई सदस्य या उसकी ओर से कोई भी व्यक्ति किसी भी समय अध्याय 2 के किसी उपबंध के उल्लंघन में कोई आयुध या गोला-बारूद अपने कब्जे में रखता है या लेकर चलता है, तो वह ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा ।

(7) जो कोई, किसी संगठित अपराध संघ के किसी सदस्य की ओर से या कोई व्यक्ति उसकी ओर से,-

(i) धारा 5 के उल्लंघन में किसी आयुध या गोला-बारूद का विनिर्माण करता है, उसे अभिप्राप्त करता है, उपाप्त करता है, उसका विक्रय करता, अंतरण करता है, उसको संपरिवर्तित करता है, उसकी मरम्मत करता है, उसकी परख करता है या उसे परिसिद्ध करता है या अभिदर्शित करता है या विक्रय या अंतरण, संपरिवर्तन, मरम्मत, परख या परिसिद्धि के लिए प्रस्थापित करता है ; या

(ii) धारा 6 के उल्लंघन में किसी अग्न्यायुध की बैरल को छोटा करता है या किसी नकली अग्न्यायुध को अग्न्यायुध में संपरिवर्तित करता है या आयुध नियम, 2016 में उल्लिखित किसी प्रवर्ग के अग्न्यायुध को किसी अन्य प्रवर्ग के अग्न्यायुध में संपरिवर्तित करता है ; या

(iii) धारा 11 के उल्लंघन में किसी वर्ग या भांति के किसी भी आयुध या गोला-बारूद को भारत में लाता है या भारत से बाहर ले जाता है,

तो वह ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा ।

स्पष्टीकरण—उपधारा (6) और उपधारा (7) के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "संगठित अपराध" से किसी व्यक्ति द्वारा अकेले या

सामूहिक रूप से, किसी संगठित अपराध संघ के सदस्य के रूप में या ऐसे संघ की ओर से हिंसा या हिंसा की धमकी या अभित्रास या प्रपीड़न या अन्य विधि-विरुद्ध साधनों का प्रयोग करके, धनीय फायदे प्राप्त करने या स्वयं के लिए या किसी व्यक्ति के लिए असम्यक् आर्थिक या अन्य लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से, कोई भी निरंतर विधि-विरुद्ध क्रियाकलाप अभिप्रेत है ;

(ख) "संगठित अपराध संघ" से दो या अधिक व्यक्तियों का ऐसा समूह अभिप्रेत है, जो किसी संघ या गैंग के रूप में अकेले या सामूहिक रूप से किसी संगठित अपराध के क्रियाकलापों में लिप्त होते हैं ।

(8) जो कोई धारा (3), धारा (5), धारा (6), धारा (7) और धारा (11) के उल्लंघन में अग्न्यायुध और गोला-बारूद के अवैध व्यापार में सम्मिलित है या उसमें सहायता करता है, तो वह ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए,—"अवैध व्यापार" से भारत के राज्यक्षेत्र में, उससे या उसके भीतर अग्न्यायुध या गोला-बारूद का आयात, निर्यात, अर्जन, विक्रय, परिदान, संचलन या अंतरण अभिप्रेत है, यदि अग्न्यायुध या गोला-बारूद इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार चिन्हित नहीं हैं या जिनका इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में दुर्व्यापार किया गया है, जिसके अंतर्गत तस्करी किए गए, विदेश में बने अग्न्यायुध या प्रतिषिद्ध आयुध और प्रतिषिद्ध गोला-बारूद भी हैं ।

(9) जो कोई उतावलेपन या उपेक्षा से कोई अनुष्ठानिक गोलाबारी का उपयोग करेगा, जिससे मानव जीवन या किन्हीं अन्य की वैयक्तिक सुरक्षा संकटापन्न हो जाए, वह कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए "अनुष्ठानिक गोलाबारी" से जन सभाओं, धार्मिक स्थानों, विवाह समारोहों या अन्य उत्सवों में गोलाबारी करने के लिए अग्न्यायुध का प्रयोग करना अभिप्रेत है ।'।

धारा 27 का संशोधन ।

10. मूल अधिनियम की धारा 27 की उपधारा (3) में, "मृत्युदंड से दंडनीय होगा" शब्दों के स्थान पर, "मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 44 का संशोधन ।

11. मूल अधिनियम की धारा 44 की उपधारा (2) के खंड (च) में,—

(क) "वह रीति, जिससे" शब्दों के स्थान पर, "वह रीति, जिसमें अग्न्यायुध या गोला-बारूद को खोज निकालने के लिए उनके" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "खोज निकालने से" अवैध विनिर्माण और अवैध व्यापार का पता लगाने, अन्वेषण करने और विश्लेषण करने के प्रयोजन के लिए विनिर्माता से क्रेता तक, अग्न्यायुध और गोला-बारूद की योजनाबद्ध खोज अभिप्रेत है ;'।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

आयुध अधिनियम, 1959 को आयुध और गोला-बारूद से संबंधित विधि को समेकित और संशोधित करने के लिए अधिनियमित किया गया था । आयुध अधिनियम, 1959 और उसके अधीन बनाए गए नियम, आयुध और गोला-बारूद के अर्जन, कब्जे, उपयोग, विनिर्माण, अंतरण, विक्रय, परिवहन, निर्यात और आयात को और अवैध शस्त्रों और उनसे उत्पन्न होने वाली हिंसा को नियंत्रित करने के लिए अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन के लिए दंड को विनियमित करता है ।

2. विधि प्रवर्तन अभिकरणों ने अवैध अग्न्यायुधों के कब्जे और दांडिक अपराध किए जाने के बीच बढ़ते हुए संबंधों के संकेत दिए हैं । प्रौद्योगिकी की अभिवृद्धि से, अवैध अग्न्यायुधों की गोलाबारी और कृत्रिमता की प्रचुरता वर्षानुवर्ष अत्यधिक बढ़ गई है । अवैध हथियारों के दुर्व्यापार के सीमापार आयाम आंतरिक सुरक्षा को जोखिम पैदा कर रहे हैं और अवैध अग्न्यायुधों के उपयोग को रोकना भी प्रमुख चिंता का विषय बन गया है । अवैध अग्न्यायुधों के उपयोग से संबंधित या उनका उपयोग करके किए जाने वाले अपराधों को प्रभावपूर्ण रूप से नियंत्रित करने के लिए और विधि के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी निवारण का उपबंध करने के लिए, आयुध अधिनियम, 1959 में समुचित संशोधन करके विद्यमान विधायी रूपरेखा को सशक्त करने की तुरंत आवश्यकता है । इसके साथ-साथ, व्यष्टियों और खिलाड़ियों द्वारा अग्न्यायुधों के उपयोग के लिए अनुज्ञप्ति प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और सुकर बनाने की भी आवश्यकता है ।

3. पूर्वोक्त उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आयुध अधिनियम, 1959 का संशोधन करने का प्रस्ताव है । तद्नुसार, आयुध (संशोधन) विधेयक, 2019 नामक विधेयक में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित प्रस्तावित है–

(i) नए अपराधों को परिभाषित करना और उनके लिए दंड विहित करना, जैसे पुलिस या सशस्त्र बलों से अग्न्यायुध छीन लेना, संगठित अपराध संघ में लिप्त होना, अवैध दुर्व्यापार जिसके अंतर्गत तस्करी किए गए, विदेश में बने अग्न्यायुध या प्रतिषिद्ध आयुध और प्रतिषिद्ध गोला-बारूद भी है, मानव जीवन को संकटापन्न करते हुए उतावलेपन और उपेक्षापूर्ण रीति में या अनुष्ठानिक गोलाबारी, आदि में अग्न्यायुध का उपयोग करना ;

(ii) विद्यमान अपराधों, जैसे अवैध विनिर्माण, विक्रय, अंतरण आदि ; प्रतिषिद्ध आयुधों और प्रतिषिद्ध गोला-बारूद का अवैध अर्जन, उनको कब्जे में रखना या लेकर चलना ; और अग्न्यायुधों का अवैध विनिर्माण, विक्रय, अंतरण, संपरिवर्तन, आयात, निर्यात, आदि, के लिए दंड में वृद्धि करना ; और

(iii) आयुध अनुज्ञप्ति की अवधि को तीन वर्ष से बढ़ाकर पांच वर्ष करना और आयुध अनुज्ञप्ति इलेक्ट्रानिक रूप में भी जारी करना ।

4. विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए है ।

अमित शाह

नई दिल्ली ;
27 नवंबर, 2019

उपाबंध

आयुध अधिनियम, 1959 (1959 का अधिनियम संख्यांक 54) से उद्धरण

* * * * *

अध्याय 2

आयुधों और गोलाबारूद का अर्जन, कब्जा, विनिर्माण, विक्रय, आयात, निर्यात और परिवहन

3. (1) * * * *

अग्न्यायुधों और गोलाबारूद के अर्जन और कब्जे के लिए अनुज्ञप्ति।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, कोई भी व्यक्ति, जो उपधारा (3) में निर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न है, किसी भी तीन समय तीन अग्न्यायुधों से अधिक न तो अर्जित करेगा, न अपने कब्जे में रखेगा और न लेकर चलेगा :

परन्तु ऐसा व्यक्ति जिसके अपने कब्जे में, आयुध (संशोधन) अधिनियम, 1983 के प्रारम्भ पर, तीन से अधिक अग्न्यायुध हैं, अपने पास ऐसे अग्न्यायुधों में से कोई तीन अग्न्यायुध प्रतिधारित कर सकेगा और शेष अग्न्यायुधों को, ऐसे प्रारम्भ से नब्बे दिन के भीतर, निकटतम पुलिस थाने के भारसाधक आफिसर के पास या धारा 21 की उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए विहित शर्तों के अधीन रहते हुए, किसी अनुज्ञप्त व्यौहारी के पास अथवा जहां ऐसा व्यक्ति संघ के सशस्त्र बलों का सदस्य है वहां उस उपधारा में निर्दिष्ट किसी यूनिट शस्त्रागार में निक्षिप्त करेगा ।

* * * * *

आयुधों और गोलाबारूद के विनिर्माण, विक्रय इत्यादि के लिए अनुज्ञप्ति ।

5. (1) कोई भी व्यक्ति किसी भी अग्न्यायुध या ऐसे वर्ग या वर्णन के किन्हीं भी अन्य आयुधों का, जैसे विहित किए जाएं या किसी गोलाबारूद का तब तक—

(क) न तो, उपयोग में लाएगा, विनिर्माण करेगा, विक्रय करेगा, अन्तरण, संपरिवर्तन, मरम्मत, परख या परिसिद्धि करेगा ; और

* * * * *

गनों के नाल के छोटा किए जाने या नकली अग्न्यायुधों को अग्न्यायुधों में संपरिवर्तित करने के लिए अनुज्ञप्ति ।

6. कोई भी व्यक्ति अग्न्यायुध की नाल को छोटा या किसी नकली अग्न्यायुध को अग्न्यायुध में संपरिवर्तित तब के सिवाय न करेगा, जब कि वह इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार निकाली गई अनुज्ञप्ति इस निमित्त धारित करता हो ।

स्पष्टीकरण—इस धारा में "नकली अग्न्यायुध" पद से कोई भी ऐसी चीज अभिप्रेत है जो अग्न्यायुध जैसी प्रतीत होती हो भले ही वह कोई छर्रा, गोली या अन्य अस्त्र छोड़ने के योग्य हो या न हो ।

* * * * *

जिन अग्न्यायुधों पर पहचान-चिह्न न हों, उनके विक्रय या अन्तरण का प्रतिषेध ।

8. (1) कोई भी व्यक्ति किसी अग्न्यायुध पर या अन्यथा दर्शित कोई भी नाम, संख्यांक या अन्य पहचान-चिह्न न तो मिटाएगा, न हटाएगा, न परिवर्तित करेगा और न कूटरचित करेगा ।

* * * * *

भाग 3
अनुज्ञप्तियों के बारे में उपबन्ध

अनुज्ञप्तियों का अनुदान ।

13. (1) * * * * *

(3) अनुज्ञापन प्राधिकारी—

(क) धारा 3 के अधीन अनुज्ञप्ति वहां अनुदत्त करेगा जहां कि वह अनुज्ञप्ति—

* * * * *

(ii) केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुज्ञप्त या मान्यताप्राप्त राइफल क्लब या राइफल संगम के सदस्य द्वारा निशाना लगाने का अभ्यास करने में उपयोग में लाई जाने के लिए पाइंट 22 बोर राइफल या हवाई राइफल के सम्बन्ध में अपेक्षित की जाए :

* * * * *

अनुज्ञप्ति की अस्तित्वावधि और उसका नवीकरण ।

15. (1) धारा 3 के अधीन की अनुज्ञप्ति यदि पहले ही प्रतिसंहृत न कर दी जाए तो वह उस तारीख से, जिसको वह अनुदत्त की जाए, तीन वर्ष की कालावधि के लिए प्रवृत्त बनी रहेगी :

परन्तु ऐसी अनुज्ञप्ति लघुतर कालावधि के लिए अनुदत्त की जा सकेगी यदि वह व्यक्ति जिसके द्वारा वह अनुज्ञप्ति अपेक्षित है वैसा चाहे या यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी उन कारणों से जो लेखन द्वारा अभिलिखित किए जाएंगे किसी मामले में यह समझे कि अनुज्ञप्ति लघुतर कालावधि के लिए अनुदत्त की जानी चाहिए ।

* * * * *

अध्याय 5
अपराध और शास्तियां

कुछ अपराधों के लिए दंड ।

25. (1) जो कोई—

(क) धारा 5 के उल्लंघन में, किन्हीं आयुधों या गोलाबारूद का विनिर्माण, विक्रय, अन्तरण, संपरिवर्तन, मरम्मत, परख या परिसिद्धि करेगा, या उसे विक्रय या अन्तरण के लिए अभिदर्शित या प्रस्थापित करेगा या विक्रय, अन्तरण, संपरिवर्तन, मरम्मत, परख या परिसिद्धि के लिए अपने कब्जे में रखेगा ; अथवा

(ख) धारा 6 के उल्लंघन में, किसी अग्न्यायुध की नाल को छोटी करेगा या नकली अग्न्यायुध को अग्न्यायुध में संपरिवर्तित करेगा ; अथवा

* * * * * *

वह कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम होगी किन्तु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

(1क) जो कोई धारा 7 के उल्लंघन में किन्हीं प्रतिषिद्ध आयुधों या प्रतिषिद्ध गोलाबारूद को अर्जित करेगा, अपने कब्जे में रखेगा या लेकर चलेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ।

(1कक) जो कोई धारा 7 के उल्लंघन में किन्हीं प्रतिषिद्ध आयुधों या प्रतिषिद्ध गोलाबारूद का विनिर्माण, विक्रय, अन्तरण, संपरिवर्तन, मरम्मत, परख या परिसिद्धि करेगा या उन्हें विक्रय या अन्तरण के लिए अभिदर्शित या प्रस्थापित करेगा या उन्हें विक्रय, अन्तरण, संपरिवर्तन, मरम्मत, परख या परिसिद्धि के लिए अपने कब्जे में रखेगा, वह

कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ।]

* * * * *

(1ख) जो कोई—

* * * * *

वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा तथा जुर्माने से भी दण्डनीय होगा :

परन्तु न्यायालय किन्हीं पर्याप्त और विशेष कारणों से, जो निर्णय में अभिलिखित किए जाएंगे, कारावास का जिसकी अवधि एक वर्ष से कम होगी, दण्डादेश अधिरोपित कर सकेगा ।

* * * * *

27. (1) * * * *

आयुधों को उपयोग में लाने के लिए दंड, आदि ।

(3) जो कोई किन्हीं प्रतिषिद्ध आयुधों या प्रतिषिद्ध गोलाबारूद को प्रयोग में लाएगा या धारा 7 के उल्लंघन में कोई कार्य करेगा और ऐसे प्रयोग या कार्य के परिणामस्वरूप किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वह मृत्युदण्ड से दण्डनीय होगा ।

* * * * *

44. (1) * * * *

नियम बनाने की शक्ति ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित सब विषयों या उनमें से किसी के लिए उपबंध कर सकेगी, अर्थात्—

* * * * *

(च) वह रीति जिससे अग्न्यायुध के निर्माता का नाम, विनिर्माता संख्यांक या अन्य पहचान-चिह्न उस पर मुद्रांकित या अन्यथा दर्शित किया जाएगा ;

* * * * *

MGIPMRND—3840LS(CRC)—28-11-2019.